संख्या:73/2026/384/आठ-1-26/2029778

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2026**

विषयः-जनपद गोरखपुर में गुलहरिया थाने से गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भटहट रोड तक अर्नामेन्टल/डेकोरेटिव लाईट लगाये जाने संबंधित निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-1280/अभि0अनु0/गो0वि0प्रा0/2025-26, दिनांक 07.03.2026 एवं पत्र संख्या-770/अभि0अनु0/गो0वि0प्रा0/2025-26, दिनांक 29.10.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में गुलहरिया थाने से गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भटहट रोड तक अर्नामेन्टल/डेकोरेटिव लाईट लगाये जाने संबंधित निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की कुल मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1360.65 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 680.325 लाख (रू0 छः करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार पॉच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का अभिप्राय है कि डिटेल्ड स्टीमेट, ड्राइंग, डिजाइन, गणनायें, कार्य की मात्रा, कार्य की दर सूची/दर विश्लेषण की दरें एवं लागत को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना हेतु सीड कैपिटल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी, जिसकी अदायगी आगामी 10 वर्षो में समान वार्षिक किश्तों में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य सरकार को सुनिश्चित की जायेगी।

(4) गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगें कि निर्धारित समयावधि में सीड कैपिटल की अदायगी न करने की दशा में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा डिफाल्ट अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज भी राज्य सरकार को देय होगा।

(5) गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीड कैपिटल से प्राप्त धनराशि को प्रश्नगत परियोजना पर ऐसी जगह निवेश करेंगे, जहां से आय अर्जित हो सके, ताकि प्राधिकरण द्वारा इसकी अदायगी समय से सुनिश्चित की जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जब तक सीड कैपिटल की समय से अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक सम्बन्धित प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(7) प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों को आधार नहीं माना जायेगा। नियमानुसार ई-निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें, प्राप्त करते हुए, दरों, मात्रायें एवं विशिष्टियों का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण का होगा।

(8) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण का होगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(11) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(12) प्रश्नगत परियोजना की निर्माण अवधि 12 माह निर्धारित की गयी है। अतः प्रश्नगत परियोजना को निर्धारित समय की अवधि में पूर्ण किया जाये, जिससे कि राजकोष पर अतिरिक्त व्यय भार न आये।

(13) कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्यां-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19 जून, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या -ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(15) कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से ओ0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत **(CONSUMED)** हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के संबंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) कार्यदायी संस्था/गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(20) गोरखपुर विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(22) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(23) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, सेतु निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, पहुंच मार्ग आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(24) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व सम्बंधित विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत निर्विवादित भूमि पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(25) कार्यदायी संस्था द्वारा गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(26) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(27) कार्यदायी संस्था/ गोरखपुर विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(28) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था- गोरखपुर विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जाएगी।

(29) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था- गोरखपुर विकास प्राधिकरण होगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(30) कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 680.325 लाख (रू0 छः करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार पॉच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-002 के लेखाशीर्ष 4217608000800 के मानक मद सं0-30 निवेश/ऋण के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने के मद में डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-E-8-1141-X-2025-26-दिनांक 20-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या:73/2026/384(1)/आठ-1-26/2029778 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (परीक्षा-लेखा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त धनराशि को अंतरित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड आदि की सूचना ईमेल आई०डी **ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in